

**उनको जो डिमांड है उनको में पढ़े कर
सुना देना चाहता हूँ :**

(1) Immediate departmental recognition to the All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association and its representation on the Kendriya Vidyalaya Sangathan and Board of Governors;

(2) Formation of Joint Consultative Committees at all levels without delay;

(3) Increase in the internal promotion quota from 25 to 75 per cent;

§§^

4. (4) Revision of pay-scales and school timings;

(5) Introduction of time-bound selection grades for all cadres; and

(6) Declaration of a rational transfer policy and withdrawal of mass transfers indulged in during the current session.

श्रीमान्, इन छः माँगों को लेकर बे अपना डिमांड डे मना रहे हैं। इस में जो उन्होंने मांग रखी है इस संबंध में मेरे पास उनका कुछ तथ्यों के आधार पर एक पत्र आया है कि किन को परेशान किया गया है। मथुरा में एक हरिजन अध्यापक थे। उस हरिजन अध्यापक को इस लिय आत्म-हत्या करने पड़ी क्योंकि उसके साथ न्याय नहीं किया गया। ऐसे कई केसेज आये। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय टोचर्स एसोसियेशन है, उनके जो आफिस वियर्स हैं उनको जानबूझ कर संगठन को तरफ से परेशान करने को कोशिश की जाती है और उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कन्वेंशन है कि ऐसे जो आफिस वियर्स हैं उनको हैडक्वार्टर में रहने दिया जाये और उन्हें कम से कम सेमिनार और गोष्ठियाँ आयोजित करने के लिय अवकाश प्रदान किया जाये। लेकिन आपको सुन कर

ताज्जुब होगा कि संगठन को तरफ से, सरकार को तरफ से इन आफिस वियर्स को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन को हैडक्वार्टर से हटा कर सुदूर ऐसे स्थान पर रखने को कोशिश की जाती है, जहाँ ट्रांसपोटेशन को कोई व्यवस्था तक नहीं है।

श्रीमान्, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि किसी टीचर ने अपना बात अगर रखने को कोशिश की, एसोसियेशन से जुड़ने का प्रयास किया तो उन टोचर्स को प्रिसिपल की तरफ से यह कहा गया कि तुम एसोसियेशन में सम्मिलित हो रहे हो। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं मान्यवर, शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस को देखें। साथ ही साथ मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्दर जो यह सारा भ्रष्टाचार है तो इसको जानकारी को दृष्टि से बे पार्लियामेंट की कमेटी बना दें और पार्लियामेंट के मੈम्बरों को उस में रख कर उन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी उनके साथ न्याय हो सकेगा। धन्यवाद।

THE PLANTATIONS LABOim
(AMENDMENT) BILL, 1973—ContcL

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Now, we shall take up the Plantations Labour (Amendment) BiU. I think, Mr. Dhabe, you have already spoken.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Only one sentence I spoke.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): He spok* only one sentence that day.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): All right. You continue your speech>> now.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a very important Bill and this Bill

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe] was brought forward earlier in 1973 and referred to a Joint Select Committee which presented its report on the 3rd March, 1975.

Sir, this BUI is coming up for discussion here again after eight years in the final form. Sir, the plantation industry in our country has a very important place in the economic life of the people. The tea, coffee and rubber plantations not only provide employment to more than eight lakh workers, but they also earn foreign exchange for us which is just now round about Rs. 300 to Rs. 400 crores. Even the internal consumption of tea is more than 300 million kgs. per year. Sir, in an industry which has got such an important place and an industry in which the earnings are very high, the conditions of the workers are very poor and it has been commented upon from time to time. There are specific provisions of Plantation Labour Act which provide for facilities. Section 8 provides for drinking water facilities. Section 15 provides for housing facilities. There are sections providing for recreational facilities, education facilities, medical facilities, etc. It is one law in which the obligation is cast on the employer to build houses for the employees. I welcome the amendment which has been made to extend it to the families of the workers for providing them housing facilities. But you have to see how many houses have been built by the plantation employers for the workers. Their number is not more than 40,000 in all the plantations taken together. The employers are not interested in constructing houses for the employees. They are not interested in providing medical facilities. Though the law provides that the Labour Inspector can take action to pay for the medical facilities and recover the money as arrears of land revenue, not a single case is there in which this action has been taken against the employers. The result is that there are a large number of complaints. The Report of the Select Committee says:

"The Committee during their *Uyini* to the plantation, areas also observed that in many gardens even the barest minimum facilities such as arrangement for the supply of wholesome drinking water, latrines and urinals, provision of qualified doctors and medicines, had not been provided, though these amenities were required to be supplied by the employers under the Act,"

Therefore, merely amending the Act is not sufficient. As the minimum wages notification for the rural workers issued in 1954 remains a dead letter, even if we extend the facilities, the real problem is how they are going to be implemented. This question also came up before the Petitions Committee of the Lok Sabha arising out of a petition filed by Shri Vimal Ranadive, Vice-President of the Plantation Workers Association on 26-8-74 and the report on Petition No. 7 to the Lok Sabha is dated 25th May, 1976. In the Petition, they prayed that the plantations should be taken over and the industry should be nationalised. The report is very startling. I crave the indulgence of this House to permit me to read a small paragraph. I quote paragraph 2.30: It reads:

"From the material placed before them, the Committee are inclined to agree with the complaint of workers that while plantation! are earning huge profits, by having both internal as well as external market, particularly in respect of tea and coffee, the employers are not considerate enough in providing benefits to workers in the same measure to ameliorate their living conditions. In fact, the Study Groups of the Committee which undertook on-the-spot study visit of plantations received numerous representations from workers about low wages, delay in payment of wages and violation of the provisions of the Plantations Labour Act 1951 requiring the employers to provide amenities to workers. From what the Study Groups have seen,

it cannot be gainsaid that there has been in inexcusable laxity, neglect and lack of urgency on the part of the authorities in enforcing the provisions of the Plantations Labour Act, 1951. The Committee feel that the Central Government cannot disown its responsibility for giving proper and timely guidance to the State Government in so far as the implementation of the various provisions of the Plantations Labour Act, 1951 are concerned. The Committee would therefore like to stress that the Central Government should keep a constant watch to ensure that the interests of the workers are fully safeguarded and they get the benefit to which they are entitled. The State Government should also be advised to enlarge and tighten their inspectorate machinery..."

Sir, the Central Government should not take a rigid stand. I am certain the hon. Minister will not take such a stand because the Plantations Labour Act provides that the implementation is to be by the State Governments. Here, the Committee has observed—the Joint Committee Report which we are now considering was also considered by the Petitions Committee—that the Central Government must be directly responsible for the implementation of this law and they should also issue guidelines to the State Governments for the purpose. Sir, I would like to know from the hon. Minister what steps they are going to take and whether they will have a special agency or a cell in the Labour Ministry for the implementation of the various welfare measures which are provided under this Act and which will go a long way in creating happy and healthy industrial relations between the labour and the management.

Sir, the second question which is very important for the implementation of this law is that though the profits are enormous the wages have remained very low. I am talking about the organised workers, and not

of the unorganised labour. For example, Sir, in my area, 17,000 acre* are under the cultivation of oranges. But they are not covered by the Plantations Labour Act. There are many other plantations which are not covered by the Act. I am not saying about their condition. Their condition is pitiable. Even the average wages of those who are organised and who are covered by the Act are between Rs. 4 and 6. Not only that, Sir. The workers are not graded into categories like I, II and III. The males are under Category I and the females are under Category II. And the females are paid less than the males in spite of the Equal Remuneration Law of 1976 which says that they should be paid equally. I hope the hon. Minister will take a serious view of this matter.

Sir, this matter was also examined by the National Occupational Wage Survey Committee of Plantation Industries. And, Sir, their report has been published in the newspapers on the 1st May, 1980, and it has been found that the workers' wages have been increased but the women's wages have not been increased. The Survey also showed that the women in the three plantations—they examined tea, coffee and rubber—earned less than the men in all the three surveys. As between the first and the third surveys, the difference in earnings rose from 11 paise to 98 paise during the third survey in the case of tea plantation workers, the difference in the case of coffee and rubber plantations was 46 to 117 paise and 48 to 142 paise respectively, over the same period. Whereas the actual wages for the male workers rose from Rs. 1.63 to Rs. 4.81. Therefore, Sir, an increase of Rs. 9 was made in the case of male workers, 50 per cent less was paid to the female workers. And, Sir, much worse is the position so far as the other unorganised plantation labourers are concerned.

Therefore, Sir, I would suggest to the Minister to have a definite policy

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

for the wage implementation and .. they should constitute either a wage 'board or a wage committee so that uniform wages are paid to men and women, and their wages are increas-

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to another aspect. Sir, there are welfare committees appointed by the Tea Board, the Coffee Board, the Rubber Board, the Cardamom Board, and they are also carrying on the same welfare activities. These Commodity Boards which are carrying on the welfare activities are parallel to the Government activities. Therefore, the demand of the working class is that there must be a co-ordination committee for the welfare activities .so that the duplication can be avoided and the money can be properly utilised for the welfare of the workers where it is needed.

Lastly, Sir, I welcome the Bill though some deficiencies are there. But before I conclude I would like to submit that it is no use if there are not drinking water facilities and medical facilities. Unless they are there, it is of no use. I, therefore, isuggest that the Minister should take immediate steps for the implementation of the provisions by having an agency or a cell in the Labour Ministry.

SHRI p. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to support the Plantations Labour (Amendment) Bill brought up by the Government for our consideration.

Sir, the said plight of millions of toiling people who sweat on various plantations in the covmtry to earn valuable foreign exchange for Ug is really too much to be expressed in words These workers live and work in most inhuman and pitiable conditions. These plantations include tea, coffee, cinchona, rubber, etc. and as we know, tea alone is one of the major foreign exchange earners of

our country. But, Sir, it ig indeed most regrettable that notwithstanding a lapse of 34 years since our Inde- 0 pendence these workers who earn crores and crores of rupees by way of foreign exchange have to live in most miserable conditions. They live J in houses that are most insecure and collapse frequently and when these / -' workers die as a result of these collapses, their guardians or their dependents do not gf>t even due compensation for the loss that they have to bear. Unhygienic living in distant and far-flung areas compounded with lack of medical and educational facilities make their life utterly miserable. In abject poverty these plantation workers ' have to live like slaves of their employers. And, as we know, most of these plantations are still foreign-owned establishments last vestiges • of the colonial rule, the British rule, , ^ and, as I said, it is a matter of deep regret for all of us that despite enacting an Act, the Plantation Labour Act, 1951, We have not yet been able I to effect any improvement in their conditions. I think the employers alone are not responsible for their miserable condition. We are also as much responsible as they are because although we could enforce the enactment and we could improve their conditions much earlier, we have -failed in doing so.

Sir, on the 9th May, 1973, this House, the Rajya Sabha, decided that a Joint Committee should be appointed to look into the desired amendment and put a draft for our consi- , deration. On the 16th May, 1973, the Lok Sabha also adopted our Resolution, our motion, with the result that a 45-Member committee, in which 15 representatives were from the Rajya Sabha and 30 from Lok Sabha, was appointed to look into the matter. This Committee was to submit its report on the 1st day of the 85th Session' of the Rajya Sabha, that was in 1973. But thig Committee had to be granted three extensions and the report was ultimately available on the 3rd

of March, 1975. At that time, as we all know, the so-called JPs movement of total revolution was at its peak. Within two or three months the national emergency had to be declared and during the emergency priorities had changed and we could not just effect this desired improvement at that time and we could not bring about this legislation. And then came the Janata rule and the Lok Dal rule. For 30 months they were in power but they too—although they try to pose to be the champions of the downtrodden and the workers—failed to deliver any goods and that is why today we are going to consider the report of that Committee that was presented to the Government in 1975. Therefore, we are also equally responsible for not ameliorating their conditions and their plight. The Committee had to consider 123 memoranda giving views and suggestions from various unions and associations, and 59 witnesses appeared before the Committee and that Committee itself came to the conclusion that in various areas even the barest minimum facilities, such as arrangement for supply of whole-some drinking water, latrines, urinals, provision of qualified doctors, had not been provided though these amenities are a must under the Act. The Act has been there but we could not enforce it; we could not implement it, only because the employers did not want it; they did not want to give to the workers due justice. Inadequacy of punishments that are awarded under the Act, is one of the plain impediments standing in the way of implementation of various welfare measures. Courts generally take a lenient view of the offences under the Act and they let off the employers, who are offenders, with lighter punishment which generally

- amount; to a fine of Rs. 100, So the Committee suggested amendment to section 36 of the Act. An employer is required to provide these workers
- living accommodation, but generally in
- spite of the fact that the Government gives loans and subsidies to the employ-

ers for construction of houses, progress in regard to these construction is very poor. As I said earlier, very unhygienic and insecure houses are there where these people have to live. Even compensation to the workers, as I said, in the event of house collapse, is not given. The workers, including men, women and children, have to work for a number of hours. The proposed amendment, of course, provides for a 9-hour working only, on these plantations.

X would like the Government not only to pass this amendment. Bill which I have risen to support, but also to ensure its implementation as best as it can; otherwise, getting it passed and keeping a copy of it in the library or elsewhere, will not improve the conditions of the plantation workers. I want proper implementation, proper enforcement of the law and I want that desired ameni-

- ties and facilities should be provided to these workers and it should be ensured that employers do provide these amenities. When this question of Joint Committee was taken up in this House, our late friend, Mr. Bhupesh Gupta, was there and he also voiced his feelings and said that these plantations should be acquired by the Government. These are generally foreign-owned establishments, and as Mr. Bhupesh Gupta had then said, they are the centres—at least in Assam—of anti-Indian activities. These plantations deserve to be taken over by the Government as early as possible. I have proposed one amendment but since I find now that the name of our State Minister has also been added below my name, I refrain from moving it; our Minister will move it. That amendment is only a technical one; it is only with a view to making the provisions more meaningful, more precise, and that is why I proposed this amendment. I hope the Minister will now move it and the House will adopt this amendment
- I Bill which I welcome.

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam):
Mr. Vice-Chairman, Sir, the Planta-

[Shri Biswa Goswami] tions Labour Bill, 1973, was introduced in the Rajya Sabha on the 6th March, 1973. Then, it was referred to a Joint Committee of both the Houses and this Joint Committee submitted its report in 1975. Now, we are discussing this Bill today after six years of the submission of the report by the Joint Committee. Hence, the Bill would not be able to deal with the present-day expectations of the workers of the plantations. The original Act in regard to the plantation labour, namely, the Act of 1951, itself provided various welfare measures for the plantation labour. But unfortunately the planters nonchalantly violated all these provisions for welfare measures. The Joint Committee itself observed. I quote:—

"The Committee during their J tours to the plantation areas observed that in many gardens, even the barest minimum facilities such as arrangement for the supply of wholesome drinking water, latrines and urinals, provisions of qualified doctors and medicines had not been provided though these amenities were required to be supplied by the employers under the Act."

Again, under the provisions of the Act of 1951, the employer has to provide housing facilities to the employee. I may again quote here from the report of the Joint Committee:—

"According to the provisions contained in section 15 of the Plantations Labour Act, 1951, the employer has the responsibility to provide housing accommodation to every worker and his family residing in the plantations. Government also provide loans and subsidies for the construction of these houses. Even then, the progress of construction of houses in the plantations has been very unsatisfactory and, in fact, the rate of construction of houses has gradually declined. The position has not im-

proved even by the prosecution of the employers as there is a lack of desire on their part to take up the responsibility of construction of houses."

The main question, therefore, is the question of implementation of the provisions of the Act. Mere amendments will not improve the position. There is no provision in the present Bill also as to how these measures, these provisions, can be implemented and what the Government is thinking in terms of implementing these provisions. In most cases, even the Government officials who are deputed for the purpose of inspecting the gardens, they themselves side with the planters. If Government officers themselves side with the planters, where is the remedy? Hence, we should think; devise ways and means and adopt measures so that the provisions which are made in the Act and the Bill, the present Bill, are implemented properly.

Sir, the provisions in the present Bill fall far short of the expectations of the working population in the plantations. In the present Bill, it has been suggested that the acreage of the plantations in regard to which this Act will be applied will be reduced to five hectares. But this is also not sufficient, because, under this also, the owners, the planters, will take shelter and many of the plantations will still remain uncovered. This should be further reduced to 2.5 hectares. So far as compensation for house collapse is concerned, it has been said here that if the occupant of a house is directly responsible for the collapse, he will not be entitled to compensation. Under this provision, Sir, the employers will take shelter and deprive many eligible workers from getting compensation. Then, Sir, it is known to everybody that the plantation industry is the biggest foreign exchange earning industry. The productivity of this industry can increase only if the labour is improved. A contented labour alone can improve the efficiency

and productivity of the plantation industry. So, the need of the hour is not to bring such piecemeal legislations. What is needed today is a comprehensive Bill, which should deal with all aspects of the working conditions, of the plantation labour. The need of the day is to introduce such a Bill where workers will have full participation in managing the gardens, and this plantation industry should be nationalised immediately. Sir, Assam is one of the most important tea producing States in the country. There formerly the tea gardens were owned by the Britishers. Now the Indians have purchased those gardens. After these gardens have gone to the hands of the Indian planters the situation has not improved; rather it has deteriorated, the efficiency of the gardens has deteriorated. Even the local people and educated tea labour youths are being deprived of getting employment in the gardens. Therefore, steps should immediately be taken to nationalise this industry. Here, Sir, I would like to inform the House that in 1978-79 the ruling Janata Party in the Assam Assembly had adopted a resolution unanimously for nationalisation of tea industry in Assam. If the Government is not willing to nationalise the entire plantation industry. I would request that the Government should take early steps to at least nationalise tea industry in Assam. It is a very vital matter for the economic self-sufficiency of Assam State and it is very important from the point of view of increasing efficiency and productivity of the gardens also. ?; -

• With these words, I once again demand that the Government should come forward with a more comprehensive Bill which should deal with all these aspects.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KITLKARNI): Mr. Bagaitkar, who is leaving for Bombay, has requested me to call him immediately. If you do not mind,

I will give him five minutes. I am seeking permission of the House.

Yes, Mr. Bagaitkar.

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : श्रीमन्, जो विधेयक सदन के सामने है उस पर कुछ कहने के पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस बात से वाकिफ होगी कि जो हमारे चाय बागान के मजदूर हैं उन में अभी भी वही पुरानी कोलोनिअल पद्धति जो थी, वही अब भी जारी है। इसके कई कारण हैं। चाय बागान की जो शुरुआत अंग्रेजी ने की थी, जो परम्परा उन्होंने कायम की थी वही परम्परा व्यवस्थाओं के तौर पर मजदूर और व्यवस्थापकों के बीच जो संबंध हैं वे भी अभी तक वही चले आ रहे हैं। उसका एक कारण यह है कि चाय बागानों में काम करने वाला मजदूर बहुत हद तक माइग्रेंट लेबर है। चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, छोटा नागपुर हो ऐसे इलाकों में से जाकर काम करने वाले यह मजदूर हैं। इनके ऊपर अन्याय पूर्ण व्यवहार सब जगहों पर होता है। बहुत जरूरी है कि इन मजदूरों को उनके अधिकार की सुरक्षा वेतन की सुरक्षा के बारे में सरकार जल्दी से जल्दी सोचे। चाय बागान में काम करने वाली महिला मजदूर जो हैं उनका वेतन आजकल बराबर नहीं है, उनको दूसरे मजदूरों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। चाय बागानों में अगर कोई यह समझे कि कौशल का काम नहीं है तो यह गलत है। इसमें भी कौशल की जरूरत होता है। यहां जो महिला मजदूर काम करती हैं उनके अपेक्षा को जानते हैं कि वह खाल करके काम करे। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि कम से कम वेतन बढ़ाने की बात सरकार जरूर सोचे। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में जो प्रावधान रखा गया है मुझे इन पर ज्यादा उम्मीद नहीं है। कारण यह है कि

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

इस पर अमल होने की गुंजाइश नहीं है। अमल तो हम देख चुके हैं कोयला खादान में, जो होता है उसमें। चाय उद्योग जो है वह विचित्र उद्योग है। चारों ओर फैला हुआ है। सारा माहौल देहात का है जहां आने-जाने की सुविधा नहीं रहती है। जब अफसर को सुविधा देनी होती है तो मैनेजमेंट के लोग बंगले में आराम करके वापस चले जाते हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये जो सारे उद्योग हैं इसमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। इनके बारे में लबर मिनिस्ट्री उदासीन है और एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस तरह का विधेयक लाते हैं तो आपको इसमें क्वालिफाइंग चीजें रखने की क्या जरूरत है। दूर-दूर जाकर मजदूर काम करता है इसलिये उसकी सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्वालिफाइंग चीजें जो आप रखते हैं वह मालिक और मैनेजमेंट के लिये रखते हैं, कोई बुनियादी बात उसमें नहीं होती।

मैं एक ओर चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। टी इंडस्ट्री में सिकनैस ज्यादा है। मझे सिलोन में जाने का मौका मिला था। जिस तरह इस उद्योग को बढ़ातरी सिलोन में मिली उसके मुकाबले में कुछ नहीं कर रहे हैं। टी इंडस्ट्री की सिकनैस बढ़ती जाएगी अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक जमाना था कि हमारी मानोपली थी चाय मार्किट में। कर्पाटिशन में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन आज हालत इतनी बिगड़ रही है सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। एड-होक विधेयक आप लाते हैं पर उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे घाबे साहब ने कुछ संशोधन रखे हैं। आप उन संशोधनों को स्वीकार करते हैं तो उसके क्वालिटी में फर्क होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर जरूर साचेगी और चाय बागान में जो महिला मजदूर काम करने वाली है और जो दूतरे मजदूर है उनकी सुरक्षा दिलाने के लिये, वेतन सहित दिलाने के लिये आप विधेयक लायेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) :

अ. द. नाथ उपसभाध्यक्ष जी, जो सरकार विधेयक लाई है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इस विधेयक को देखने से लगता है कि केवल कुछ लोग, जो नौकरशाह हैं उन्होंने इस विधेयक को बनाया है। सरकार को जितने कांफ्रेंसिव रूप में इसका लाना चाहिए था, उस रूप में वह उसका नहीं लाई। उपसभाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के मजदूरों की हालत, हमारा हिन्दुस्तान एग्रीकल्चर एरा से इंडस्ट्रियल एरा में प्रवेश कर रहा है, करीब करीब करंडा की संख्या के ऊपर मजदूर हमारे मुल्क में हैं और हिन्दुस्तान के उत्पादन में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बुनियादी रूप से हमारा कृषि प्रधान देश था। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अब जिस द्रुत गति से पूरे देश के पैमाने पर हो रहा है, ऐसी हालत में देश के मजदूरों की जिन्दगी के विषय में पूर्ण रूप से विचार करना पड़ेगा। सरकार का ध्यान उनका निश्चित उत्पादन से है। उत्पादन के बिना सरकार के पास है और उत्पादन करने वाला मजदूर है। हमारे देश की नौ श्रमता इंदिरा गांधी ने, और हमारे संविधान ने भी एक समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की है। कोयला मजदूरों का लाजिये। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक जमाने के ऊर्जा मंत्री को जिन्होंने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और मजदूरों को सम्मानपूर्वक जिन्दगी जने का मौका दिया। जो प्लानेशन इंडस्ट्री है, केवल में मजदूरों अलग और आसाम में

अलग, कर्नाटक में अलग। मैं सरकार से चाहता हूँ कि वह प्लान्टेशन उद्योग में लगे हुए मजदूरों के लिये एक यूनिफार्म वेज पालिसी निर्धारित करे। वेज के सम्बन्ध में एक यूनिफार्मिटी होनी चाहिए। यह दुख की बात है कि आसाम के चाय बागानों में काम करने वाली औरत मजदूरों और मर्द मजदूरों की मजदूरी में फर्क है। मैं आज की श्रम मंत्री और पुरानी मजदूर नेता श्रीमती राम दुलारी सिन्हा से व्यक्तिगत रूप से अपील करना चाहता हूँ कि वह आज ही इस में इस बात की घोषणा करें कि औरत और मर्द की मजदूरी के समानता के सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं और यह लागू किया जायेगा। जिन भी उद्योग धंधों में औरत मजदूर काम करती हैं उनके और मर्द मजदूरों की समान मजदूरी होगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि चाय प्लान्टेशन इंडस्ट्री जो है वह कालोनिअल छाया में एक बहुत बड़े षड्यंत्र का अड़्डा बना हुआ है। आसाम में जो आन्दोलन हुआ उस आन्दोलन में जो जनघातों और राष्ट्रघातों तकते हैं, उसमें इन चाय बागानों के मालिकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, वह इस में अमेंडमेंट में आ नहीं सकता, लेकिन सरकार इस पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करे कि चाय बागानों के जो मालिक हैं, जो चाय इंडस्ट्री है और जो मजदूरों के श्रम पर चलती है, मजदूरों के ही बल पर पूरी टां इंडस्ट्री, काफी इंडस्ट्री चलती है, तो कैसे उन मजदूरों की जिन्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे उनको जिन्दगी में एफिसियेंसी लाई जा सकती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी बागाईतकर जी ने कहा कि ये लोग लौ मील दूर से काम पर आते हैं। मैं

जानता हूँ कि बिहार, उत्तरप्रदेश के मजदूर जाकर आसाम के चाय बागानों में काम करते हैं और अपनी रोटी के लिये, अपनी रोजी के लिये 12 सौ किलोमीटर दूर, 15 सौ किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करते हैं। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत मैं भी जानता हूँ। इस बारे में इस सदन में राष्ट्रीय मतैक्य का वातावरण आया है, किसी सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो सरकार न माने। मजदूरों के मामले में एक राष्ट्रीय सहमति है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जितनी भी हमारी नीतियां हैं वह मजदूरों के हित में हैं। जब कोई भी मामला मजदूरों के हित और मालिकों के हित के संबंध में आता है तो हमारी सरकार मजदूरों का पक्ष लेती है। हमारी सरकार जो है वह मजदूरों की हितैषी है और उसने मजदूरों के लिये मैनेजमेन्ट में पार्टिसिपेशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया है।

जिसने समाजवादी समाज की रचना 4 P.M. का संकल्प लिया है। उस सरकार को मजदूरों के हित की तरफ ही ध्यान देना चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रम मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी और श्रीमती रामदुलारी सिन्हा दोनों प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। हम उनके इस अमेंडमेंट का समर्थन करते हुए उन से यह मांग करते हैं कि पूरे राष्ट्र के पैमाने पर यूनिफार्म वेज पालिसी के सिद्धान्त की वे घोषणा करें, औरत मर्द बराबरी के सिद्धान्त की घोषणा करें।

श्री श्रीधर वासुदेव घाबे : कानून तो पहले है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है।

श्री कल्पनाय राय : इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक इन ठेकेदारों के हाथ में उद्योग रहेगा, मालिकों के हाथ में उद्योग रहेगा।

श्री पतित पावन प्रधान (उड़ीसा) : कल्पनाथ जी, डेढ़ साल हो गया है।

श्री कल्पनाथ राय : आप तो और बंटाधार करने वाले लोग हैं। आपसे क्या मतलब हिन्दुस्तान के मजदूरों का... (व्यवधान) बिल्कुल नहीं (व्यवधान) जो कुछ भी इस मुल्क में समाजवाद की दिशा में कदम उठाए गए हैं वे कदम श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही उठाये गये हैं चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे राजा-महाराजाओं के प्रिविपर्स की समाप्ति हो, चाहे वीस सूत्री कार्यक्रम हो, चाहे पब्लिक सेक्टर इकोनोमी हो। ऐसे लोग इस मुल्क में पार्टियों में हैं जो राजा-महाराजाओं के प्रिविपर्स के समर्थक रहे हैं, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोधी रहे हैं। आज भी इस तरह के शत्रु, राष्ट्र के शत्रु इस देश में पड़े हुए हैं (व्यवधान) मैं कहता हूँ कि इस देश की जनता कैसे ऐसे लोगों को इस पार्लियामेंट में आने देती है जिन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, ऐसे लोगों को फांसी के तबले पर रूस और चीन में लटकाया गया था जो जमींदारी के पौषक रहे हैं जो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को दुश्मन हैं। इनको याद रखना चाहिए कि गांधी जी के देश में, समाजवादी शान्तिपूर्ण परिवर्तन का सिद्धान्त... (व्यवधान) गांधी जी के देश में।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमती गांधी ने प्रिविपर्स अबोलिश किया लेकिन अन्तुले पर्स भी अबोलिश कर दें।

श्री कल्पनाथ राय : मान्यवर, मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता। आप जानते हैं (व्यवधान) सा जी भी जानते हैं (व्यवधान) हमने अपने देश में नयी पोलिटिक फिलोसफी को स्वीकार किया है। हम यह मानते हैं कि जनतंत्र मायने समाजवाद, समाजवाद मायने जनतंत्र। यह हमारी

मान्यता है और हम ने जनतंत्र समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है (व्यवधान) रूस और चीन में कम्युनिज्म आया लेकिन वहाँ

श्री पतित पावन प्रधान : नये ढंग का प्रिविपर्स है (व्यवधान)।

श्री कल्पनाथ राय : लेकिन वहाँ की जनता को डेमोक्रेसी नहीं मिली। दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में डेमोक्रेसी आई मगर वहाँ समाजवाद नहीं आया। (व्यवधान)

श्रीमती कनक मुखर्जी (पश्चिम बंगाल) : इसीलिए तो आर्डिनेंस की जरूरत होती है... (व्यवधान) इतना तो हम जानते हैं रूस और चीन में ऐसे आर्डिनेंस नहीं होता है... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : इन कम्युनिस्टों से मैं यह कहता हूँ कि अगर यह मानसिक दिवालिया न होते तो आज देश की हुकूमत इनके हाथ में होती (व्यवधान) बंगाल में कौन से सुधार लाए हैं, कौन से भूमि सुधार लाये हैं? कौन सा प्रगतिशील कदम उठाया है? ज्योति बसु की सरकार में और कांग्रेसी सरकार में कितना फर्क है (व्यवधान) वेस्ट बंगाल की सी० पी० एम० की सरकार मारकाट, खून, कल की सरकार है इसीलिए... (व्यवधान) मैं कहता हूँ... (व्यवधान)

SHRI DIPENDRABHUSAN GHOSH (West Bengal); On a point of order, Mr. Vice-chairman.

श्री कल्पनाथ राय : वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु की मारकाट, खून, कल की सरकार है, वहाँ पर टेरर की सरकार है, आतंक की सरकार है (व्यवधान) इसका जनतंत्र से और मजदूरों से कोई रिश्ता नहीं है। इस पर बहस करानी होगी तो करा लीजियेगा। शाही जी मेरे मित्र हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 'पिछले तीन वर्ष जनता सरकार की जनघाती, राष्ट्रघाती

सरकार ने इस मुल्क की जनता के हित में कौन से कदम उठाये हैं? मैं इसकी जानकारी चाहता हूँ (अवधान) वे हमारे मित्र हैं इसलिए मैं ... (अवधान)

SHRI PATITPABAN PRADHAN: That you people are still alive is the biggest contribution of the Janata Party.

श्री कल्पनाथ राय : क्या बात करते हो? ऐसी बात न करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक भी कानून जनता के हित में नहीं, जनता के हित का एक भी कानून नहीं बना। मैं जानता हूँ उसका कारण यह था कि समाजवादी परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाए। जिस सरकार के मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे प्रतिक्रियावादी होंगे वे कभी समाजवादी परिवर्तन की राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे। अगर जनता सरकार का नेतृत्व मधु लिंगये या चन्द्र शेखर के हाथ में होता तो मैं परिवर्तन को बात मान सकता था। लेकिन देश के दुश्मन जनधार्तियों के हाथ में नेतृत्व था इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सरकार से चाहता हूँ कि वेज पालिसी के लिए एक यूनिफार्म पालिसी की घोषणा करे, टी ए प्लान्टेशन का सरकार राष्ट्रीयकरण कर सके तो उसे बधाई। औरत और मर्द की मजदूरों में समानता के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करे और यह सिद्धांत तभी इम्प्लीमेंट होया जबकि यह इंडस्ट्री नेशनलाईज होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम सरकार के इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बागान के मजदूरों के लिए जो कानून है उसमें कुछ संशोधन लाये गये हैं। मेरे मित्रों ने बताया इसका इतिहास। मार्च 75 में कमेटी की रिपोर्ट आई और आज यह बिल लाया जा रहा

है। इसका दोष हमारे किसी मित्र ने केवल जनता सरकार को दिया। मैं उनका जरा हिसाब साफ कर देना चाहता हूँ। मार्च 75 से 77 मार्च तक आप भी सरकार में थे और जनवरी, 80 से अब सितम्बर तक एक साल 9 महीने और लगे इस काम को करने में। अब आपको स्वयम् इतनी गलती है तो दूसरों पर दोष देकर छूटने से कोई काम बनता नहीं है। आप भी स्वीकार करिये कि आपसे भी गलती हुई है। केवल दूसरों पर दोष देने से और जनता सरकार के 23 महीने के कारण हमेशा सब गुनाह और पाप से घुलने रहेंगे यह देश की जनता माफ नहीं करेगी। यहाँ भले ही बहुमत से काम करा लें।

आज यह बिल आया है, यह मेरा निवेदन है कि यह सरकारी दफ्तरों से बनकर आया है। इसके अंदर राजनीतिक प्रेरणा और राजनीतिक सूझबूझ दिखाई नहीं देती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नीतियां राजनीतिक दृष्टि से तय की जायें। केवल नौकरशाही पर न छोड़ दी जायें। आज यह बिल जो लाया गया है, इसमें कुछ संशोधन हैं, 6 वर्ष बाद आये हैं; इसलिये मेरा तो निवेदन है कि सारा कानून बदलकर नया कानून लाया जाना चाहिए और नयी दृष्टि से उस पर विचार किया जाना चाहिए।

बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि मजदूर भागीदार होंगे लेकिन आज तक कोई योजना दिखाई नहीं दी किसी भी उद्योग में जहाँ सरकार स्वयम् मालिक है क्योंकि आज सरकार के पास देश के 67 पर्सेंट उद्योग है, उनकी मालिक सरकार है। मजदूरों के लिये क्या किया? बागान आज कहे जाते हैं कि विदेशी हैं। क्यों विदेशियों के पास हैं और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ये

[श्री अश्विनी कुमार]

विदेशियों के पास में नहीं है वे स्वदेशी पूँजीपतियों के पास में हैं और स्वदेशी पूँजीपतियों को यदि रखा गया है तो आज की जो प्रगतिशील तथाकथित सरकार है जो अपने आपको प्रगतिशील स्वयम् कहती है—दुनियाँ उसको प्रगतिशील कहती है या नहीं इससे मतलब नहीं; यह जाकर जनता से पूछिये उनकी महंगाई उनका पेट क्या बोल रहा है, महंगाई कहाँ ले जा रही है—परन्तु वे स्वयम् को प्रगतिशील का तमगा देते हैं। तो इस प्रगतिशील सरकार ने क्या किया मजदूरों के लिये? और जहाँ जहाँ उनका उद्योग चल रहे हैं जैसे कोयला उद्योग की बात होती है, क्या उनको वहाँ पानी पीने के लिये दिया। आज भी कोल माईन्स में हर वर्कर्स के लिये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। आज उनके लिये मकान नहीं है। 26 परसेंट मकान केवल मजदूरों के लिये हैं।

ओवरटाईम की बात कही गयी है इसी संशोधन में कि 54 घंटे से ज्यादा बागान मजदूरों से ओवर टाईम नहीं कराया जायेगा सी० सी० आई० के अन्तर (व्यवधान) 54 घंटे से ज्यादा एक सप्ताह में; और आपकी जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भर से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये सी० सी० आई० के अंदर हर रविवार को मजदूरों से काम कराया जा रहा है। मजदूरों को रविवार की छुट्टी नहीं दी गयी है। इन दोनों का कहाँ मेल बैठ रहा है। अगर आपको मेल बैठाना है तो कुछ व्यावहारिक नीतियाँ बनाइये, मजदूरों को भागीदार बनाइये, केवल भागीदार ही नहीं मजदूरों को मैनेजमेंट में लाकर रखिये और उसके लिये कानून बदलिये; आज कौन कानून बना रहा है? आज जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है उसको कौन चला रहा है, राजनैतिक नेता चला रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं।

वहाँ तो सरकारी अफसर बैठते हैं, आई० ए० एस० अफसर बैठते हैं और दोनों हाथ से लूट रहे हैं। प्रोजेक्ट घाटे में चल रहे हैं, दो हजार करोड़ रुपये का घाटा साल भर में पब्लिक सेक्टर दे रहा है। यह दो हजार करोड़ कहाँ से आ रहा है? यह गरीब जनता का खून चूस-चूस करके यह अफसरशाही खा रही है और जिसको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? उनके ऊपर एक्शन लीजिये और उनको जेल में बंद कीजिये। उनके ऊपर कड़ाई कीजिये। पर अफसरशाही के हाथ में आप बंधे हुए हैं, उसके हाथ में आप गुलाम हैं। इसलिये एक्शन आपका नहीं हो रहा है। अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं है तो यह सब पीसमील जाव आ रहा है।

आज सार्वजनिक क्षेत्रों की जो चर्चा हमारे मित्र ने की, उनका नाम सार्वजनिक है, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया है, पब्लिक सेक्टर कहा गया है, वह सरकारी क्षेत्र से एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। वहाँ पर घाटे पर घाटा हर साल दिखाया जाता है, खून चूसा जा रहा है। परन्तु वहाँ के मजदूरों की क्या हालत है? कोल इंडिया के मजदूरों की क्या हालत है?

श्री कल्पनाथ राय : पहले से अच्छी है।

श्री अश्विनी कुमार : पहले से बहुत अच्छी है, यह कोई सतिवना नहीं है। आपके लिये आज सात आठ साल हो गये, पहले से अब तक आपने कोयले का दाम चार गुना बढ़ा दिया है और मजदूरी चार गुना बढ़ाई है, कोई आपका बढ़ा आशीर्वाद नहीं हुआ। वह जो प्रॉफिट पूँजीपति खाते थे, वह प्रॉफिट आज चोर डकैत जो वहाँ के अफसर हैं, वे खा रहे हैं। वह नम्बर दो में जा रहा है, और देश में भ्रष्टाचार

की व्यवस्था बड़ रही है और उससे कहीं भला नहीं हो रहा है।

मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ। पर आज जो गलत हो रहा है, उसको सुधारने के लिये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ।

इस बागान कानून पर आते हुए मुझे दो चार बातें कहनी हैं। इसमें पाँच हेक्टर की सीमा दी गई है। अगर प्लान्टेशन है, तो पाँच हेक्टर की सीमा क्यों रखी जाती है? 'प्लान्टेशन वर्कर इज ए प्लान्टेशन वर्कर'। अगर वह काम कर रहा है, तो उसको सब सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें। मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस पर विचार करें कि जो पाँच हेक्टर की सीमा है, उसको भी हटाया जाना चाहिये (समय की घंटी)

दूसरे यह जो कानून इस प्रकार से आया है, पूरा कानून नया बदल कर के आना चाहिये और यह जो पीसमील चीज है, केवल बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सहारा देती है और गरीब को नहीं। मुझे पता है कि आज बिहार में लैंड रेवेन्यू से संबंधित 24 कानून हैं। अच्छे से अच्छे वकील व्याख्या नहीं कर पाते। अगर उन 24 कानूनों को खत्म करके तीन कानून बना दिये जायें, तो उसको समझ सकेंगे। इसका मूल परिवर्तन करना चाहिये।

अब मेरा मजदूरों के बारे में प्रश्न है। अगर केरल की सरकार फार्म लेबरर्स को पेंशन दे सकती है, तो प्लान्टेशन लेबरर्स को क्यों इसमें नहीं रखा जाता है। केरल की सरकार जिसके बारे में आपने बहुत कुछ कहा—सारा समाजवाद तो केवल दिल्ली में रह गया है और कहीं तो है नहीं। केरल में पेंशन दिया है, फार्म लेबर को, दो लाख लोगों को उसके अंदर इन्कलूड किया है। क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट

इनको इन्कलूड करने की कोशिश करेगी और प्लान्टेशन लेबर क ऊपर भी पेंशन की नीति में संशोधन करेगी। मेरा सुझाव है कि इनको भी पेंशन देने की व्यवस्था की जाये (समय की घंटी)

इसके बारे में सरकार से मेरे तीन प्रश्न हैं स्पेसिफिक—कि क्या यह जो कानून इस प्रकार से टुकड़ों-टुकड़ों में आ रहा है, इसका पूरा कानून नया बनाने की वे कृपा करेंगे; दूसरा, इसके अंदर एक बहुत महत्व का प्रश्न है—मकान अगर गिर जाये और उसमें कोई मर जाये, तो मूआवजा और उसको क्लैरिफाई किया गया है कि वह गिरे, तो व्यक्ति का, उसके अंदर जो रह रहा है, उसके कारण न हो और नैचुरल क्लैमिटी हो, तो नहीं मिलेगा। ये दोनों प्रावधान बीच से हटा दिये जाने चाहियें। मकान किसी भी कारण से गिरे और कोई भी ... (समय की घंटी) क्या कोई मजदूर इसीलिये अपना मकान गिरा लेगा कि उसको मूआवजा चाहिये—क्या अपने परिवार का व्यक्ति मारेगा कि उसके अंदर उसको चौदह हजार रुपया मूआवजा चाहिये तो मेरा यह संशोधन है कि यह जो मूआवजे की कलाज है, मकान किसी प्रकार से गिरे, उसके अंदर मूआवजा दिया जाना चाहिये। यह मेरा प्रश्न है।

तीसरे यह जो पेंशन का क्लाज है वह फार्म लेबर की तरह क्या सरकार प्लान्टेशन लेबरर्स को भी पेंशन देने की व्यवस्था करेगी?

श्री संगडोपाल लेपचा (पश्चिम बंगाल) : उपसभाध्यक्ष जी, जो यह विधेयक सरकार ला रही है यह बिलम्ब से आया है संसद में। फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और विधेयक पर अपनी बात कहता हूँ।

एक शताब्दि हो गयी जब अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने समूचे देश में, पश्चिमी

[श्री संगबोपाल लेपचा]

बंगाल में, आसाम में, दक्षिण भारत में हिमाचल प्रदेश में सभी स्थानों में चाय के बागान तैयार किये थे। केवल चाय ही नहीं, अब तो हम लोग देखते हैं, काफी, रबर, इलायची, केश्यूनट इत्यादि के वृक्षों के बागान व्यापारिक दृष्टिकोण से औद्योगिक दृष्टि से चलाये जा रहे हैं। लेकिन चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की अवस्था कैसी है। अंग्रेजी जमाने में और आजाद होने के बाद भी देशी विदेशी मालिकों द्वारा निर्भम शोषण होता था; अत्याचार चल रहा था, अभी भी बागान-बागान में अत्याचार चल रहा है। कानून की कोई बात ही नहीं कहता। पहले भी कोई स्वराज के बाद भी हम लोग देखते हैं कि मालिक का हुक्म ही कानून है। 24 घंटे का नोटिस दे कर समूचे परिवार को काम से निकाला जाता है, घर से भी निकाल दिया जाता है। प्लान्टेशन लेबर एक्ट 1951 में आया था। 1952 तक भी बागानों में मजदूरों को हटाया गया। बाहर के किसी आदमी को बागान में घुसने नहीं देते थे। मैं बागान में रहता हूँ। मैं मजदूरों को संगठित करने का काम करता हूँ। 1952 में मैं एक चाय बागान में गया था यूनियन का काम करने के लिये। मैनेजर और चौकीदार ने मुझे बुला कर कहा कि तुम चले जाओ। चार पांच चौकीदारों के द्वारा मुझे खदेड़ दिया। आजादी होने के बाद भी यूनियन का काम करने का, मजदूरों का संगठित करने का मौका नहीं है।

प्लान्टेशन लेबर एक्ट में आप बता रहे हैं कि हर जगह दबाई मिलेगी। लेकिन हम ने क्या देखा? लाल दबाई देते हैं। तिरदर्द के लिये भी लाल दबाई, डायरिया हो तो भी लाल दबाई, इन्फ्लुएंजा हो तो भी लाल दबाई सभी बीमारियों के लिये एक ही मिक्चर। अभी बागान में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ

अभी सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि एकट बन गया तो मजदूर लोगों को क्वार्टर मिलेगे, दवाई का अच्छा बन्दोबस्त हो जायेगा पानी का बन्दोबस्त होगा, दूटी का बन्दोबस्त होगा। लेकिन वास्तव में यह देखते हैं कि मजदूरों के ऊपर यह लागू नहीं होता है।

उस जमाने में भी हम लोग देखते थे कि तारी मजदूरों के ऊपर ज्यादा जुबन था। प्रसूति के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी मां वहिनें पेड़ के नीचे बच्चा पैदा करती थी। अभी भी कई जगह में ऐसा ही है।

रहने के लिये मकान का प्रबन्ध नहीं था। वर्षों तक गन्दी झोपड़ियों में मजदूरों को जीवन बिताना पड़ता था। अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन का काम करने का हक नहीं था। आज मालिक और सरकार उन के ऊपर कर देते हैं और ट्रेड यूनियन का काम नहीं करने देते। इस व्यवस्था के विरोध में सामाजिक रूप में विरोध होना शुरू हुआ। संगठन को बढ़ने न देने के लिये मजदूरों को संगठित न होने देने के लिये शुरू में उन लोगों को दवाना शुरू किया। लेकिन तब छुटपुट आन्दोलन चलते रहे। आन्दोलन को दवाने के लिये मजदूरों को पीटा गया, उनको जेल में डाला गया। इससे भी जब आन्दोलन नहीं दबा और मजदूरों ने आन्दोलन जारी रखा तो भारत सरकार को बाध्य होकर 1951 में बागान मजदूर कानून पास करने के लिये कदम उठाना पड़ा। 1951 में यह कानून पास होने के बाद भी, अभी जैसा कलानाथ राय जी ने भी कहा, कि मजदूरों के लिये कुछ करेंगे। समाजवादी समाज की रचना करेंगे, किसानों के लिये कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब 1951 में कानून बना तो फिर भी मालिकों के

दबाव में आकर कानून को लागू नहीं किया गया। अभी तक जो कानून है वह पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। फिर उसके लिये आन्दोलन शुरू हुआ। यह जो कानून बना है इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। इसी वजह से हम लोगों ने फिर आन्दोलन किया। प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट को लागू करने के लिये हमको आन्दोलन करना पड़ा। 1952-53 में मालिकों ने जब देखा कि यह प्लान्टेशन ऐक्ट बन गया है तो अब इनको घर देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, और सुविधाएँ देनी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने उद्योग में संकट का बहाना लेकर मजदूरों के ऊपर हमला किया। मजदूरों का वेज काट लिया। सस्ता राशन जो उनको मिलता था बन्द कर दिया। दार्जिलिंग में 1952 में जहाँ 14 पैसे के हिसाब से राशन मिलता था, उसको संकट का बहाना बना करके बढ़ा दिया और 14 पैसे का डबल कर दिया और मजदूरों के लिये हफ्ते में तीन चार दिन का ही काम दिया गया।

(समय की घंटी)

श्रीमन् अभी खत्म करता हूँ। 1951 में बागान कानून बन गया। 1952 से 1955 तक दार्जिलिंग में और सारे बंगाल के चाय बागान में बहुत जोरदार हमला हुआ जिसके जरिये मजदूरों को परेशान किया गया। मजदूरों ने हड़ताल की। 14 दिन तक की हड़ताल की और इसमें 6 मजदूर शहीद हुए। कई लोग जेल में गये। तब जाकर 1956 में बागान कानून की धाराओं पर अमल करना शुरू हुआ। बार-बार इसके लिये आन्दोलन करने पड़े। 1973 में हमने देखा कि इसकी अलोचना होने के बाद संसद के दोनों हाउसेज की एक कमेटी बनाई गई। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिये कहा गया। उस ज्वायंट कमेटी ने परिश्रम करके 1975 में अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 7 वर्ष तक इस विधेयक को अभी तक संशोधित

नहीं किया गया। 7 वर्षों तक मालिकों को फ्री छूट देने के बाद यह संशोधन विधेयक आ रहे हैं। कल्पनाय जी बोले थे कि हमारी सरकार मजदूरों के लिये कुछ करेगी लेकिन 7 वर्ष तक सरकार ने मालिकों के साथ मिलकर उनको खुली छूट दी शोषण के लिये, उनको दवाने के लिये। मैं आशा करता हूँ कि यह विधेयक उन खासियों को दूर करेगा। उनको द्राई करने के लिये अपना संशोधन दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में जहाँ कि लेपट फ्रंट की गवर्नमेंट है वहाँ मजदूरों का और औरत मजदूरों का वेतन समान है, लेकिन दूसरी जगहों में ऐसा है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन पश्चिमी बंगाल में ऐसा जरूर है और वहाँ वाम-पन्थी सरकार होने की वजह से मजदूरों को इसके लिए कोई हड़ताल भी नहीं करनी पड़ी। दो बार उनका वेतन 90 पैसा, 90 पैसा कर के भी बढ़ाया गया है और वहाँ सरकार ने मजदूरों के लिए प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की है। दूसरी जगहों में यह हो रहा है या नहीं मुझे नहीं मालूम। इसके बाद मेरा संशोधन है और मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर के लागू किया जाये। पहली बात उसमें यह है कि किसी भी प्रकार के बागान को जो 2.5 हेक्टर का था उस से बड़ा हो और उसमें मजदूरों की संख्या चाहे कितनी ही हो उस पर यह विधेयक लागू किया जाये और...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI (ARVIND GANESH KUUCARNI): All right I am calling the next speaker, yes, Mr. N. K. Bhatt.

श्री संगडोपाल लेपचा : मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूँ कि इसको ठीक तरीके से लागू किया जाये।

श्री नन्दि किशोर भट्ट (मध्य प्रदेश) :

माननीय उपसभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि देर से ही सही यह महत्वपूर्ण बिल इस सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया है। सभी कहते हैं कि सात साल हो गए परन्तु इस सात साल की देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि इन चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण हो जायें, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि हमारे देश में आज जो पब्लिक सेक्टर की हमारी अर्थ व्यवस्था है उसके इतने बड़े होते हुए भी, उसके इतने डामिनैट पोजिशन में होते हुए भी उसकी स्थिति खराब है। इससे पहले कि मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप करूँ, मैं चाहूँगा कि कम से कम वे माननीय सदस्यगण जिनका राष्ट्रीयकरण में विश्वास है अपने मन को टटोलें और समझें कि राष्ट्रीयकरण की बात करना एक बात है और राष्ट्रीयकरण को सफल बनाना एक दूसरी बात है। आज हमारे देश में राष्ट्रीयकरण से जो लाभ मिलना चाहिए या दुर्भाग्य से वह नहीं मिल रहा है इसलिए कि जो लोग राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वही अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों में राष्ट्रीयकरण हो गया है उनको सरेआम हानि पहुंचाने को कोशिश करते हैं। मैं दूर नहीं जाना चाहता, मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बंगलौर में कुछ महीने पूर्व एक हड़ताल हुई थी। जो लोग मजदूर आंदोलन के समर्थक हैं, जो मजदूरों की मांगों को ले कर उन को आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय

दिलवाना चाहते हैं उनके सामने यह स्पष्ट नहीं है कि लोकतंत्र में, इस नये समाज में उसको किस प्रकार दिलाया जा सकता है। इसका कोई विचार उनके सामने स्पष्ट नहीं है। हड़ताल और आंदोलन मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं लेकिन मजदूरों के शस्त्रागार में ये अंतिम शस्त्र हैं, पहले नहीं हो सकते। बंगलौर में जो कुछ हुआ वह पोलिटिकल ऐक्शन कहा जा सकता है। उससे भोले भाले मजदूरों का शोषण ही हुआ। उस हड़ताल में 160 करोड़ के लगभग देश का नुकसान हुआ और 2 करोड़ के लगभग मजदूरों के वेजेज का नुकसान हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि यह नुकसान कहाँ से पूरा किया जा सकता है। इसलिए बार-बार राष्ट्रीयकरण की दुहाई देना मैं समझता हूँ कि गैलरी में अपनी बात बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। हम हर एक पक्ष को व्यवहारिक दृष्टि से लें। चाय बागान उद्योग को लें। यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इससे हमको विदेशी मुद्रा मिलती है। 8 लाख मजदूर इस उद्योग में काम करते हैं और भारत सरकार ही नहीं बल्कि देश की जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वे समझती हैं कि यह देश का काफी बड़ा फारेन एक्वेचेंज अरनर है और इन चाय बागानों में देश के अन्य भागों से जा कर मजदूर काम करते हैं। आज उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है। इस दृष्टि से अगर हम सोचेंगे, व्यवहारिक दृष्टि से हम सोचेंगे तब बात कुछ बनेगी अन्यथा बड़ी-बड़ी बात कहने से, ऐसी बात कहने से व्यवहारिक नहीं होगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाय बागान के मजदूरों के बारे में श्रम मंत्री महोदय ने सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को माना है। यह कहना चाहता हूँ

कि सिलेक्ट कमेटी से मेरा डायरेक्ट संबंध था। हम लोग देश के सभी चाय बागानों में गये हैं। काफी, खबर आदि बागानों में गये। हमने वहाँ सभी बातें देखीं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मजदूरों की स्थिति बड़ी भयावह है। चाहे मकान के बारे में हो, पीने के पानी के बारे में हो, मजदूरों की स्त्रियों और उनके बच्चों के बारे में हो सभी दृष्टि से उनकी स्थिति खराब है। अंग्रेजों के जमाने में जो सामन्ती वातावरण था वही आज भी चल रहा है। वह वातावरण तभी दूर होगा जब सब लोग मिलकर काम करेंगे। कानून बनाना एक चीज है और अमल में लाना दूसरी चीज है। यह सही है कि कानून से सुविधायें प्राप्त होती हैं उन सुविधायों को प्राप्त करना चाहिए। इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए।

दो-तीन बातों के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ। सिलेक्ट कमेटी ने जो सिफारिश की थी कि वर्कर्स के लिए जो 54 घंटे रखे गए हैं वह बहुत ज्यादा हैं तो वह 48 घंटे होना चाहिए। इसको मान लिया गया है और इसके अतिरिक्त समय में जो काम करेंगे उसका उनको दुगुना ओवर-टाइम दिया जाएगा। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। दूसरी व्यवहारिक बात यह है कि मजदूरों को 300 रुपए तनख्वाह मिलनी थी उसे समुचित बढ़ाना चाहिए। मंत्री महोदय ने मान लिया है और अब उनकी तनख्वाह 750 रुपए कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में मजदूर लाभान्वित होंगे और जो सुविधायें उनको प्राप्त होने वाली हैं वे भी उनको प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा होता सिलेक्ट कमेटी ने जिन और बातों का जिक्र किया कि सेन्ट्रल, मेडिसिनल प्लान बनाना, एपल, पाइन एपल और ओलाइव इन सब उद्योगों में काम करने

वाले मजदूर हैं उनको भी इसमें रख लिया जाए, इस बात को भी मान लेतीं। इससे काफी लाभ होता। जहाँ-जहाँ सैलाउन नहीं हैं वहाँ-वहाँ शोषण होता है। इन मजदूरों का शोषण होता है, यह पीड़ित हैं, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। अच्छा होता जिन उद्योगों को छोड़ दिया है और जिसके बारे में सिलेक्ट कमेटी ने सिफारिश की है उन उद्योगों को भी शामिल कर लेते। मैं उम्मीद करता हूँ मंत्री महोदय पुनः इस पर विचार करेंगे।

एक और महत्वपूर्ण बात है जब बागान मजदूरों का कोई घर गिर जाता है तो उसके लिये कंपनसेशन की बात सिलेक्ट कमेटी ने कही है। यह बात मान ली गई है कि 14 हजार से 20 हजार तक उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। जो डिसेम्बल अथवा अपंग मजदूर हैं उनके लिये 33 हजार 600 का प्रावधान किया है। यह बहुत व्यवहारिक है कि इसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ हम चाहते हैं कि यह उद्योग बढ़े और इससे ज्यादा फारेन एक्सचेंज मिले इसके लिये भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। मुझे जहाँ-जहाँ भी असम में जाने का मौका मिला मैंने देखा कुछ चाय बागान राज्य-स्तरीय कारपोरेशन को दे रखा है। कारपोरेशन अभी तक चलाने में सफल नहीं हो पाई है। मैं चाहूँगा इस सब मामलों में सरकार उदारतापूर्ण आर्थिक मदद दे जिससे नये ढंग से योजना बने और यह उद्योग सफल हो सके।

दो-एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा क्योंकि इस विल में अधिक कुछ कहने के लिये नहीं है जहाँ-जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर शराब की दुकानें अधिक होती हैं। चाय बागान के मजदूर जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ शराब की

[श्री नन्द किशोर मट्ट]

दुकानों काफ़ी है। उनको तनख़्वाह जो मिलती है वह सारी शराब की दुकान में पहुंच जाती है। हम उनको जो पेमेंट करते हैं, तनख़्वाह देते हैं वे सारी की सारी शराब की दुकानों के पास चलो जाते हैं। इस तरफ़ भी सरकार ध्यान दे। ये लोग उसके शिकार हो जाते हैं। इसलिये इस बात की बहुत आवश्यकता है जहाँ जहाँ भी ये लोग रहते हों और चाय बाग़ानों में जो भी वेतन का दिन हो उस दिन शराब की दुकानों बन्द रहें। मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार इस और विशेष ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा।

अभी हमारी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस बिल के बजाय नया कानून लाना चाहिए। हम जानते हैं नया कानून लाने का मतलब होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसमें देरी करना। इसलिये केवल नया कानून बनाने की ही दृष्टि से हम इसको न लें। हम इसको इस दृष्टि से लें कि जो कानून हमारे सामने है उसमें अगर समुचित और व्यावहारिक अमेंडमेंट हो जाते हैं, संशोधन हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि उनकी स्थिति न सुधरे। जो सुविधायें हम इन मजदूरों को दिलाता चाहते हैं, उनको काम की स्थिति सुधारना चाहते हैं। उस दिशा में आगे जाकर हम अगर सरकार का हाथ बंटाये मेरा विश्वास है कि इसमें बड़ी सफलता तो मिल सकती है। इस बिल को लाने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ, देश से हो सहे, और उनसे निवेदन करता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर कराकर इसको कानून का रूप दें ताकि इससे जो लाभ मजदूरों को मिलने वाला है वह मिल सके।

SHRI K. S. MALLE GOWDA. (Karnataka): Mr, Vice-Chairman, Sir, I would like to speak on this Bill in the interest of the rapid economic growth in the country. If the nation grows from strength to strength economically leading to eradication of the degrading and dis- " , heartening poverty of the people of India, the workers of this nation would also benefit and they would also go above the poverty line.

Sir, I would like to mention here that the plantation crops as understood by the term so far, namely, coffee, rubber, tea and cardamom have been giving this nation substantial amount of the much-coveted foreign exchange annually. It must be noted that coffee exports alone have given our country during the last five years over Rs. 1000 crores in foreign exchange by way of export earnings and export duties. I must also bring to the attention of this House that the famed tea industry in India today has become a sick industry affecting lakhs of workers and the tea planters.

Sir, we ought to know that in the agricultural sector the plantation labour is the best organised one and is getting nearly the same treatment, facilities and amenities like the industrial labour.

Sir, coming from a plantation district of Chickamagalore, I sincerely agree that the welfare measures provided in the Act must be faithfully implemented and strictly enforced. But I cannot subscribe to the view taken by some that the planters generally are exploiters and are inimical to the interests of their own workers and that they must be dealt with severely. Sir, most of the planters of today are educated and they know that a contented labour is conducive to productivity and peace in the estates and therefore would like to provide all the welfare measures and amenities to the workers.

[The Vice-Chairman (Dr. Rafiq Zakaria) in the Chair]

Sir, I would like to point out some of the very draconian, discriminatory and invidious urban-directed amendments made in the Plantations Labour (Amendment) Bill, 1973.

Sir, the Plantations Labour Act is sought to be applied now even to holdings of 5 hectares and above, employing 15 persons and more. Originally, in the Bill brought before the Joint Committee, it was sought to be applied to holdings of 6.5 hectares and above. It would be realistic to make an amendment to the present Bill to raise the size of holdings from 5 hectares to 6.5 hectares. Sir, we must bear in mind the economic viability of small plantations of five hectares and the financial capacity of the small planters to fulfil the obligations cast on them to provide housing and creche facilities. Those small planters in some cases are unable to provide themselves with houses and medical care as good as those intended for their workers in the Bill. I am sure that good many small holdings will go into liquidation unable to bear the burden when the prices fall as in the case of tea today. I would emphatically say that Clause 13—Section 37 (insertion of New Section 37A) is not only draconian but discriminatory. And it is most harsh and killing to the farming community of India whose hands feed and clothe the people—poor and rich.

Sir, I strongly feel that the punishment with both compulsory fine and imprisonment is too severe for violation of a welfare legislation covered by the Act. For economic reasons and financial incapacity, the debt-ridden employer, particularly a small holder, may be unable to discharge the obligations such as providing type-design houses, creches, medical facilities, etc. In such cases there is no point in sending the landholder to jail and collecting a fine from him for every day of default.

The relevant provisions in the **Bill** are made stringent than the Factories Act under which in the case of a further offence the court is given the discretion to punish the defaulting employer. But in the proposed amendment the word used is 'shall' instead of 'may' which makes it mandatory on the court to impose imprisonment as well as fine. These provisions are too harsh and discriminatory particularly in view of the fact that the Bill seeks to bring in farms of 5 hectares which are in the nature of peasant holdings under the scope of the Act.

Sir, I would like to ask the Government of the people, for the people and by the people, in the name of the farmers of India why it wants to treat a farmer as a criminal and to be imprisoned for such an offence while it does not do so for a factory owner of a city? By making this comparison, it does not mean that a provision should be made in the relevant Factories Act to make the sentence of imprisonment compulsory for similar offences. Let me make it clear that I am not speaking against the interests of the workers in the plantations. I am only speaking against the stringent, invidious measures in the Bill affecting the rural employers and invidious laws enacted for them.

Sir, how unfortunate for this country, predominantly agricultural, that the meaning of plantations in this Bill has been stretched to include coconut gardens, apple, pineapple, cashewnut and banana plantation farms. I am glad that wisdom has dawned on the Government not to accept these recommendations of the Committee. If I were an anarchist or a member who wished ill of this Government I would have pleaded with the Government to stretch the meaning of plantations to cover all agricultural lands in the country and attract the provisions of this Bill. Then we could have seen the beginning of convulsions and revolutions in this country as the debt-ridden

[Shri K. S. Malle Gowda] farmers being unable to fulfil the provisions of this Bill would have started filling up jails for violations of its provisions.

Sir, I would take this opportunity to appeal to the Prime Minister to treat agriculture as an industry and treat agriculturists like the urban citizens and treat the farm-holdings in the same way as they treat the factories and industries. The Government should start finding out the invidious and discriminatory laws passed in the country since independence adversely affecting the farming community and review those laws if they want to ensure integrated development of the country.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Yes, Mr. Kumaran, you have got two minutes.

AN HON. MEMBER: Just two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): That is what his party's allocation is.

SHRI S. KUMARAN (Kerala): Sir, I welcome the Bill brought forward by the hon. Minister and I support it wholeheartedly.

Sir, this Bill was introduced in the House by the then Labour Minister, Shri K. V. Raghunatha Reddy. I was also present at that time in the House. After a period of nine long years this Bill has now come from the cold-storage. It shows how powerful the plantation lobby in the country is. Even though after so much of time this Bill has now been brought, I support this Bill.

In the name of a more comprehensive measure, I do not agree that this Bill should be postponed or that it should be again referred to a Joint Committee. Some such proposal was there. I do not agree with that. ! Though U is not adequate and some Improvement from the point of view of workers is needed, I do not agree

that we should postpone passing it. For example, it has been suggested that the acreage limit should be brought down to five hectares to cover more plantations. In the south, especially in Kerala, Karnataka and other southern States, many plantations are not covered by this Bill. I would request the Minister to carefully examine this thing. In the North India and some other places, tea plantations is on a large scale. But in the case of rubber cardamom and coffee, it is 5 hectares. This is on the high side. I request the hon. Minister to reduce the acreage limit to 2i hectares for coffee and rubber and cardamom.

Our friend, Shri Kalpnath Rai was talking about socialism, socialist society, democratic socialism, and so many other things. I earnestly request him to consider my suggestion and that is, whether the Government is prepared to nationalise the tea industry. Who is opposing it? Sir, some eight years ago, in the Kerala Assembly, all the parties, including Congress party, unanimously recommended to the Central Government for the takeover of the tea industry. In Kerala, tea plantation is owned by British monopolies. Even in the Assam Assembly, all the parties unanimously passed a Resolution suggesting takeover of this industry. Are you prepared to take over this industry, especially, this tea industry? I pose this question to the Central Government. Sir, this tea industry is owned by foreign monopolies and they are exploiting the workers and damaging the industry. The situation in the tea industry is deteriorating. Are you prepared to nationalise it when you talk of socialism? Unless this is nationalised, you cannot meet the demands of the workers and achieve any development in the industry and in the matter of our foreign exchange earnings.

Another thing is the implementation of the Act. There is no provi-

sion in the Bill for effective implementation of the Act. The original Bill was introduced long ago without any effective implementation. Then, is the Government prepared to have more participation of the workers in the industry and meet the demands of the workers? I request the Minister to consider these points.

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, बातें इस सदन में बहुत सी हुईं लेकिन मैं अपने को वहीं तक मजबूर रखना चाहती हूँ जहाँ तक कि हमारे बिल का संबंध है। श्री गोड साहब ने अपने विचार व्यक्त किये और उन्होंने इस बिल को पूरा समर्थन दिया, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ और श्री भट्ट साहब को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, तथा इसके साथ-साथ श्री कल्पनाथ राय जो कि उन लोगों ने पूरा-पूरा समर्थन इस बिल को देने का विचार व्यक्त किया। लेपचा साहब ने भी बातें कहीं, अश्विनी कुमार जी ने अपने सुझाव दिये हैं और धावे साहब ने अपने अमेंडमेंट के जरिये बहुत सी बातें कहीं हैं। लेकिन अभी माननीय सदस्यों के भाषणों का लवोलवाव यही है कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल, प्लांटेशन लेबर से संबंधित इस सदन में लाया जाये, ताकि बहुत से वे हिस्से जो इस बिल में नहीं हैं, वे भी शामिल हो सकें, मुझे अभी इस बात पर हंसी आ रही है कि एक तो यही 1973 का बिल जो राज्य सभा में आया, 1975 में सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और सरकार ने बहुत सी बातों को कबूल भी किया और उनकी रिकमेंडेशंस के साथ-साथ बहुत से प्रावधान और सरकार ने इसमें जोड़े और सदन के समक्ष विचार के लिए और इस बिल को पास कराने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ।

धावे साहब ने प्लांटेशन के मजदूरों के मीगर वेजेज के संबंध में बातें की और ईक्वल रेस्पुनरेशन की भी बात हुई है।

ता मैं इस सदन को बतलाना चाहती हूँ और जहाँ तक मजदूर और मजदूरनी के बराबर तनख्वाह से संबंधित विचार राय जो ने व्यक्त किये और लेपचा साहब ने भी व्यक्त किये थे और श्री राय ने यह भी कहा था कि मैं इस सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष घोषणा भी करूँ कि समान काम के लिए मजदूर और मजदूरनी को तनख्वाह में कोई अन्तर न रहे, और समान काम के लिए समान दाम दिया जाए। मैं घोषणा क्या करूँ, 1948 में इन्टरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव के अनुसार डाइ-रेक्टिव को भारतवर्ष ने रैटिफाई किया है और जहाँ भी हमारे सामने श्रम मंत्री की हैसियत से इस तरह के विवाद आते हैं, उसका समाधान मैं कानून के अंतर्गत तुरंत ही निष्पादित करने की कार्यवाही करती हूँ।

इस तरह के डिफरेंस जहाँ कहीं भी वेजे से संबंधित मजदूर और मजदूरनी के बीच आते हों, मेरे समक्ष लाए जाएँ। मैं सम्बन्धित गवर्नमेंट के पास भेजकर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समस्या के समाधान की कार्यवाही करवाऊँगी।

बागाईंकर जो ने माइग्रेट लेबर की बात कही थी और मजदूरों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया था। जहाँ तक माइग्रेट लेबर का सवाल है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं और दूसरे से तीसरे प्रदेश में जाते हैं, इसके संबंध में कानून तो है और उस कानून को और सज्ज बताने के लिए सरकार के समक्ष एक अमेंडेड फार्म में माइग्रेट लेबर एक्ट आ रहा है मैं ऐसा समझती हूँ कि सम्भवतः इस सदन में इसी सत्र में आ जाए, मैं ऐसा उपाय करने जा रही हूँ।

इसके साथ-साथ, किसी ने कहा कि इन्वैस्ट्रीसिटी का अभाव है, किसी ने कहा कि मकान का अभाव है और किसी ने कहा कि लैट्रीन का अभाव है, तमाम बातें

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

कही है। उन तमाम बातों का जिक्र तो मैं एक-एक करके यहां समयाभाव के कारण नहीं कर सकती, लेकिन कल श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय ने कहा था कि जिसएक्ट के लिए क्या प्रावधान है। मैं उन्हें बतलाना चाहती हूँ कि टेम्पोरेरी जिसएक्ट के संबंध में उन्होंने पूछा था—

Temporary disability is covered by section 4(d) of the Workmen's Compensation Act. We are applying these provisions to compensate the workers for the house collapses.

श्री गोस्वामी जी ने कुछ खर्चा कम करने की बात कही थी। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहती हूँ कि—
out of 6.31 lakh workers eligible for accommodation, 8.72 lakh workers have been provided accommodation. The Works and Housing Ministry is operating a Plan scheme for giving loans and grants for housing. With this, it is expected that the shortage of accommodation will be reduced.

Sir, the Occupational Wage Survey which Mr. Dhabe has referred to, relates to the period before the enforcement of Equal Remuneration Act. Now, both women and men workers are entitled to equal pay for equal work, as I have already stated.

लेपचा साहब ने बतलाया कि प्रैगनेंट विमन काम करती चली जाती है। उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से लेपचा साहब को और सदन के तमाम सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि इस बिल में जितनी तरह के प्लान्टिंग मजदूर हैं, उन तमाम मजदूरों में मैटर्निटी बेंचिफिट एक्ट लागू है और प्रैगनेंसी के डेढ़ माह पहले से लेकर डेढ़ माह बाद तक का प्रावधान है कि छुट्टी दे। इससे अगर बेबचिंत रह जाती है, तो वह भी विवाद मेरे सामने आना चाहिए। उसे संबंधित सरकार को निष्पादन हेतु भेज दिया

जाएगा। मैं समझता हूँ कि सब बातों का जवाब मैंने दे दिया है। जिन बातों के जवाब छूट गये हैं उन्हें मैंने नोट कर लिया है।

जहां तक श्री शिव चन्द्र झा के सुझाव का सम्बन्ध है कि इसे एक कमेटी में भेज दिया जाये मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों ने इस बिल को सदन में साने के लिए मेरी तारीफ की है उन को धन्यवाद देती हूँ और जिन लोगों ने हमारी भर्त्सना की है, आलोचना की है उन्हें एक शब्द ही कहना चाहती हूँ

नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इस में भी आता है
नहीं आदत कभी घाबों
को भी मलहम लगाने की।

अब शिव चन्द्र झा जी क्या करना चाहते हैं? अब इस बिल की कितनी और अधिक दुर्गति करना चाहते हैं फिर एक कमेटी में भेज कर। इसलिए उन से और जितने माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि प्लान्टिंग लेबर के हित में, उन के कल्याण के हित में इस विधेयक को हमारी एमेंडमेंट के साथ समर्थन दें ताकि सचमुच मजदूरों का कुछ हित हो सके।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now I shall first put the amendment of Shri Jha to vote. The question is—

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मैं इस पर वोलूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): You cannot speak. I am sorry.

श्री शिव चन्द्र झा : कैसे नहीं।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरिया) : देखिये, शा साहब, मैं ने हमेशा आप को एकोमोडेड किया। आप को भी बिहार

के साथ सहयोग करना होगा। इसलिए कि विजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बिल के लिए दो घंटे दिये थे। हर पार्टी को टाइम दिया गया था। आप को पार्टी को जो टाइम दिया गया था वह पूरा हो गया है और इस लिए अगर इस बिल को टाइम में समाप्त करना है तो आप को मौका देने पर वह मुमकिन नहीं होगा। इस लिए आप को दरखास्त को मैं कबूल नहीं करता।

श्री शिव चन्द्र शा : एक मिनट। सैंकिन्ड रीडिंग में टाइम खत्म नहीं हो जाता। फर्स्ट रीडिंग में आप को समय की कटौती करना चाहिए थी।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : नहीं, विजनेस एडवाइजरी कमेटी टोटल एलोकेशन करती है। फर्स्ट रीडिंग के लिए एक, सैंकिन्ड रीडिंग के लिए एक—ऐसे टाइम नहीं दिया जाता। टाइम पर बिल के लिए दिया जाता है और इस बिल के लिए दो घंटे दिया गया है। जब टाइम एलाउट होता है तो हर पार्टी को उस के हिसाब से टाइम दिया जाता है। अपना नाम आप स्वयं देते हैं, आप के चोफ व्हिप की तरफ से आप का नाम नहीं आता है।

श्री शिव चन्द्र शा : सैंकिन्ड रीडिंग में व्हिप का सवाल नहीं उठता। आप नियम देखिए।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : आप अपने चीफ व्हिप से क्यों नहीं कहते ?

श्री शिव चन्द्र शा : सैंकिन्ड रीडिंग में व्हिप का सवाल नहीं उठता। संशोधन पर व्हिप का सवाल नहीं आता।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : देखिए, मुझ से कहा गया है कि आप को जवाब देना था तो सैंकिन्ड रीडिंग लेने से पहले देना था मिनिस्टर को रिप्लाइ के फौरन बाद। जब मैं ने कहा :

"I put the amendment to vote" ...

श्री शिव चन्द्र शा : मैं आप के बोलने के पहले ही खड़ा हुआ था।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : आप हर वक्त इस तरह से टाइम को बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं। आप को में दो मिनट देता हूँ, जो कुछ कहना है कहिये।

श्री शिव चन्द्र शा : आप प्रक्रिया का उल्लंघन मत करें। सैंकिन्ड रीडिंग थर्ड रीडिंग बिल का पार्ट होता है।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : माफ कीजिए, मिनिस्टर के बोलने से पहले आप को बोलना चाहिए था।

श्री शिव चन्द्र शा : आप हमको बुलाते।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : अगर मैंने नहीं बुलाया तो उस वक्त आप को एतराज करना था।

श्री शिव चन्द्र शा : मैं देख रहा था। आप बैठ तो जाइये।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : आप बैठिये आप को चेयर से इज्जत से बात करनी चाहिए, आप को चेयर की इज्जत करना सीखना चाहिए। आप को आवाज इतनी बलुन्द है कि आप जब चाहे पूरे हाउस को गुंजा सकते हैं। आप का यह कहना कि आप को इजाजत नहीं दो बिल्कुल गलत है। फिर भी मैं नियम को तोड़ कर आप को इजाजत देता हूँ। आप मेहरबानी कर के एक-दो मिनट में जो कहना है कहिये।

5 P.M.

श्री शिव चन्द्र शा : यह बात आज साफ हो गयी कि मिनिस्टर के पहले मुझे बोलना चाहिए। यह बात आप ने साफ कर दी। आप खाल रखियेगा। मैं तो बाद रखूंगा ही।

उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कहा कि इसको फिर सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 75 के बाद आज 81 चल रहा है। इन 6 सालों में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं

[श्री शिव चन्द्र झा]

और परिवर्तन हुआ है इसी लिये आप के अपने संशोधन ही 9 हैं। यदि आप दो महीना और पढ़ेंगे तो और संशोधन लायेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो रिकमेंडेशन कमेटी को हुई उस में उदाहरण के लिये मंथली बेजेज हैं लेबर के। वह 300 से बढ़ा कर 750 किये गये। अब 750 जो पहले थी वह क्या आज भी वही रहेगी। उस में कुछ बढ़ोत्तरी होनी चाहिये, या नहीं। यह प्वाइंट है। इस पर गौर होना चाहिए। वह 1000 हो सकता है, 1200 हो सकता है। तो मंथली बेजेज में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इस के अलावा चाइल्ड लेबर की बात है। इस समाजवादी समाज में चाइल्ड लेबर क्या चलना चाहिए? क्या प्लेटेशन लेबर में चाइल्ड को रहना चाहिए? इस को तो खत्म करना चाहिए। इस पर गौर करने की जरूरत है। इस के बाद 73 में जो काम किया गया उस पर ठीक से मालूमात करें। बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आप द्वारा गौर कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन कहा गया कि कांफ्रिहेंसिव विल लाया जायेगा। कैसे होगा? पहले आप इस को विदड़ा कर लें या फिर इस को दोबारा कमेटी में भेजें तभी यह हो सकता है। इस लिये मेरा संशोधन है कि इस उद्योग में 8 लाख मजदूर काम करते हैं। आप इस विल को सेलेक्ट कमेटी में फिर से भेजें। इस में घबराने की जरूरत नहीं है। अगले सेशन के पहले दिन ही उस को रिपोर्ट आ जायेगी। इस लिये मेरा यह संशोधन है कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक चाइल्ड लेबर का सवाल है, प्लेटेशन ऐक्ट के अंतर्गत चाइल्ड 15 वर्ष की उम्र तक का माना गया है। लाइट वर्क में

12 वर्ष और उस से ऊपर। यदि इस में किसी प्रकार का विवाद हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वे रेज कर सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I shall first put the amendment of Shri Shiva Chandra Jha to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Plantations Labour Act, 1951, be re-committed to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members, 10 from this House, namely:—

1. Shri R. R. Morarka
2. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
3. Shri Harekrushna Mallick
4. Shri Hukumdeo Narayan Yadav
5. Shri Ramesfiwar Singh
6. Shri Biswa Goswami
7. Shri G. C. Bhattacharya
8. Shri Kalraj Mishra
9. Prof. Soutendra Bhattacharjee
10. Shri Shiva Chandra Jha, and

20 members from the Lok Sabha:

that in order to constitute a meeting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may make;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next Session; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee",

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I shall now put the Motion moved by Shrinati Ram

Dulari Sinha to vote. The question is:

"That the BiU further to amend the Plantations Labour Act, 1951, as reported by the Joint Committee of the Houses, be taken into consideration".

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill. Clause 2—there are 9 amendments to this clause. Shri S. W. Dhabe.

Clause 2—Amendment of Section 1

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I beg to move:

4. "That at page 1, line 11, *for* the figure and word '5 hectares' the figure and word '2.5 hectares' be *substituted*".

7. "That at page 1, line 13, *for* the word 'fifteen' the word 'ten' be substituted".

9. "That at page 2, lines 1 and 2, *for* the words 'or coconut' the words 'coconut Or oranges' be *substituted*".

11. "That at page 2, line 7, *for* the figure and word '5 hectares' the figure and word '2.5 hectares' be *substituted*".

Sir, when this Bill was reported by the Select Committee in 1975, 5 hectares was recommended, but at that time there was an objection that if it is fixed as 5 hectares then it will not cover a large number of plantations in the southern areas and they will not get any benefit. Now, 2.5 hectares is about 10 acres. The idea of my amendment is to extend this benefit to all plantation labour.

""Other amendment I have proposed ut the coverage. Now I do not 'tand why the hon. Minister has

not accepted even the Joint Select Committee's recommendation. Otherwise, the existing legislation will not serve the purpose of giving benefit "to those in the unorganised sector who do not have the protection of the Plantation Labour law. In my State of Maharashtra, there is a large area Of orange gardens, 17 to 25 thousand acres of them. In Maharashtra, our orange cultivators are havirtf^ a good business. It is so in other areas also. Therefore, j have suggesfeS that amendment to that of the Joint Select' Committee on giving extension. Their amendment covers cetronila grass, cardamom, arecanut, medicinal herbs, banana, apple, pine apple, cashewnut, olive, cocoa and coconut also. Otherwise, only the existing ones will benefit. I am surprised how the hon. Minister, who is very progressive, has come to the conclusion that only the existing plantations will be covered by the Plantations Labour (/HfteTWhient) Bill without accepting the Joint Select Committee's recommendation. My further suggestion is that not only should it be extended hut it should also be extended to orange cultivation and coconut cultivation.

The questions were proposed.

SHRI SANGDOPAL LEPCHA: Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 11, *for* the figure and word '5 hectares' the figure and words '2.5 hectares irrespective Of number of works' be *substituted*".

"That at page 2, line 2, *after* the word 'coconut' the words 'and other agricultural hired workers' be *inserted*".

श्रीमन्, यह जो मेरा संशोधन है इसमें हम लोगों का अनुभव यह रहा कि 1951 में यह ऐक्ट बना था लेकिन लागू नहीं किया गया। इसलिए हमने इसको डिलीट करने के लिए नहीं बोला।

[Shri Sangdopal Lepcha]

या वरिष्ठ यह कहा था कि कितने वर्षों बाद यह लागू हो जाएगा, यह स्पष्ट होता चाहिए। मेरा प्रमैडमेंट यह था। लेकिन वह छापकर नहीं दिया। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी लेकिन वह छपा नहीं।

The questions were proposed.

SHRI SANGDOPAL LEPCHA: Sir,

...

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): How can I allow it? Till the clauses are moved, how can he move the amendments? Mr. Lepcha, you confine yourself to amendments No. 5 and 10 on clause 2. When the other clauses come up, you can move the other amendments. I will tell you when to move those amendments.

I will request Mr. Khandelwal to move amendments No. 6 and 12.

SHRI PYARELAL KHANDELWAL (Madhya Pradesh): Sir, I move;

6. "That at page 1, "line 11, for the figure and word '5 hectares' the figure and word '3.5 hectares' be substituted"

12. "That at page 2, line 7, for the figure and word '5 hectares' the figure and word '3.5 hectares' be substituted".

मेरा यह संशोधन बहुत सीधा-सादा है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इससे मजदूरों का हित होगा। बागान की परिभाषा के रूप में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

The questions were proposed.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: मेरा इनसे निवेदन है कि यह वापस ले लें और अगर कोई समस्या है तो दफ्तर में

आकर मुझ से बात करें, हल निकल जाएगा।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Sir, I wanted to know one thing. The recommendation of the Joint Select Committee was to cover more plantations. Now they have referred to coffee, tea and rubber. I want to know why the Ministry has not accepted the recommendations of the Joint Select Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): You move your own amendment, Shrimati Sinha.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, I move:

8. "That 'at pages 1 and 2, for lines 14 and 15 and 1 and 2, respectively, the following be substituted, namely: —

'(ii) in sub-section (4), in clause (a), for the words 'or cinchona' the words 'cinchona or cardamom' shall be substituted".

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I will put the amendments of Shri Dhabe to vote, amendments No. 4, 7, 9 and 11.

The question is;

4. "That at page 1, line 11, for the figure and word '5 hectares' the figure and word '2.5 hectares' be substituted".

7. "That at page 1, line 13, for the word 'fifteen' the word 'ten' be substituted".

9. "That at page 2, line 1 and 2, for the words 'or coconut' the words 'coconut or oranges' be substituted".

11. "That at page 2, line 7, for the figure and word '5 hectares' the figure and word '2.5 hectares' be substituted".

The motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now, I will put amendments No. 5 and 10 of Shri Lepcha to vote.

The question is:

5. "That at page 1, line 11, *for* the figure and word '5 hectares' the figure and words '2.5 hectares irrespective of number of workers' be *substituted*".

10. "That at page 2, line 2 after the word 'coconut' the words 'and other agricultural undertakings employing hired workers' be inserted".

The motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now I will put amendments No. 6 and 12 by Shri Khandelwal to vote;

The question is:

6. "That at page 1, line 11, *for* the figure and word '5 hectares' the figure and word '3.5 hectares' be *substituted*".

12. "That at page 2, line 7, *for* the figure and word '5 hectares' the figure and word '3.5 hectares' be *substituted*".

The motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now I will put Shrimati Sinha's amendment, amendment No. 8, to vote:

The question is:

8. "That at pages 1 and 2, *for* lines 14 and 15 and 1 and 2, respectively, the following be *substituted*, namely :-

'(ii) in sub-section (4), in clause (a) *for* the words "or cinchona" the words "cinchona or cardamom" shall be substituted"'.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now I will put clause 2, as amended, to vote:

The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 too added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now new clause 3A. There is amendment No. 18 by Shri Lepcha.

SHRI SANGDOPAL LEPCHA: Sir, I move:

13. "That at page 2, *after* line 23, the following New Clause be inserted, namely: —

'3 A. In section 2 of the principal Act,—

"in clause (k), in sub-clause (ii), after the word 'monthly' the word 'basic' shall be *inserted*".

The question was put and the motion was negatived.

Clause 4 (insertion of new chapter 1A)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. - RAFIQ ZAKARIA): Now we take up clause 4. There is one amendment, amendment No. 14, by Shrimati Sinha.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir. I move:

14. "That at page 2, line 87, *for* the figure '1975' the figure '1981' be *substituted*".

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill". *The motion was adopted.*

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 (Amendment of section '4) THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): We shall take up clause 5. There is one amendment, No. 15 by Shri Dhabe. SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE; I am saying one sentence. I move;

15. "That at page 4, lines 12 and 13, the words 'or of any local authority under its control' be deleted". About the implementation machinery, it was decided that the State Government may also appoint such officers of the State Government or of any local authority under its control, as it thinks fit. The words "or of any local authority under its control" should be deleted because the experience of the implementation of the Shops and Establishments Act under which the power is with the local bodies in my State and other States is so bad that they could not implement it and now it has reverted back to the State Government to be implemented. After six years the Bill is coming. Our experience is that the local bodies are not in a position to implement labour laws. The government should accept my suggestion and delete the words about local authority. Only the State Governments should have the powers. *The question was proposed.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is:

15. "That at page 4, lines 12 and 13, the words 'or of any local authority under its control' be deleted". *The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN: (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is: "That clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted. Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 (Amendment of section 12)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now we take up clause 6. There are two amendments, No. 16 and No. 17 by Shri Lepcha and Shri Khandelwal.

SHRI SANGDOPAL LEPCHA; Sir, I move;

16. "That at page 4, line 10 or 11 the word 'fifty' the word 'five' be substituted".

(The amendment also stood in the name of Shri Pyarelal Khandelwal.)

SHRI PYARELAL KHANDELWAL; Sir, I move:

17. "That at page 4, lines 22 to 24, for the words 'or where the number of children of women workers (including women workers employed by any contractor) is twenty or more' the words 'irrespective of number of children of women workers (including women workers employed by any contractor)' be substituted".

(The amendment also stood in the name of Shri Sangdopal Lepcha)

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is:

16. "That at page 4, line 19, for the word 'fifty' the word 'five' be substituted".

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is:

17. "That at page 4, lines 22 to 24, for the words 'or where the number of children of women workers (including women workers employed by any contractor) is twenty or more' the words 'irrespective of number of children of women workers (including women workers employed by any contractor)' be substituted".

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill,

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 (Insevtion of new section IGA to 16G)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now we take up clause 8. There are U amendments. Amendment Nos. 18, 21, 22, 23 and 25 by Shri Lepcha. Do you want to move?

SHRI SANGDOPAL LEPCHA: Yes, Sir. I move;

18. "That at page 5, lines 19 and 20, the words 'and the collapse is not solely and directly attributable to a fault on the part of any occupant of the house or to a natural calamity' be *deleted*".

21 "That at page 5, line 24, *for* the word 'exceed' the words 'less than' be *substituted*".

22. "That at page 5, *after* line 26, the following proviso be *inserted*, namely: —

'Provided that the amount fixed hereinabove does not fall short of the amount provided for in Schedule IV of the Workmen's Compensation Act, 1923"'.
 23 "That at page 6, line 2, *for* the words 'six months' the words 'pne year' be *substituted*".

25. "That at page 6, *for* lines 4 to 7, the following be *substituted*, namely: —

'Provided that the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient causes from making application within the aforesaid period of one year, entertain such application within a furtiier period of two years"'.
 • THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Amendment Nos. 19, 24, 26, 27 and 28 by Shrimati Sinha.

.- SHRIMATI RAM DULARI SINHA: ^Sir, I move:

19. "That at page 5, lines 21 and . 22, the words 'to the extent set out in sub-section (2)' be *deleted*".

24. "That at page 6, *for* lines 4 to 7, the following be *substituted* namely: —

'Provided that the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application within the aforesaid period of six months, entertain . such application within a further period of six months"'.
 26. "That at page 7, line 3, *for* the words 'limits specified in' the words 'amount of compensation payable under' be *substituted*".

27. "That at page 7, lines 20 to 23, be *deleted*",

28. "That at page 7, lines 24, 26 and 29, *for* the brackets and figure's '(iv), (v) and (vi)' the brackets and figures '(ii), (iii) and (iv)' respectively, be *substituted*".

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Amendment No. 20 by Shri Sukul.

SHRI P. N. SUKUL: Sir, I move:

20. "That at page 5, *for* lines 23 to 26, the following be *substituted*^ namely: —

8 of 1923. '(2) The provisions of Section 4 of, and Schedule IV to, the Workmen's Compensation Act, 1923, as in force for the time being, regarding the amount of compensation payable to a workman under that Act shall, so far as may be, apply for the determination of the amount of compensation payable under sub-section

(The amendment also stood in the name of Shrimati Ram Dulari Sinha) The ques(tions were proposed.

THE VICE-CHARMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I shall now put

[Dr. Rafiq Zakaria] amendment Nos. 18, 21/22, 23 and 25 of Shri Lepcha to vote;

18. "That at page 5, lines 19 and 20, the words 'and the collapse is not solely and directly attributable to a fault on the part of any occupant of the house or to a natural calamity', be deleted".

21. "That at page 5, line 24, for the word 'exceed' the words 'less than' be substituted".

22. "That at page 5, *after* line 26, the following proviso be inserted, namely:—

'Provided that the amount fixed hereinabove does not fall short of the amount provided for in Schedule IV of Workmen's Compensation Act, 1923'.

23. "That at page 6, line 2, for the words 'six months' the words 'one year' be substituted".

2fi. "That at page 6, for lines 4 to 7, the following be substituted, namely:—

'Provided that the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient causes from making application within the aforesaid period of one year, entertain such application within a further period of two years'".

The questions were put and the motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I shall now put amendment Nos. 19, 24, 26, 27 and 28 of Shrimati Sinha to vote:

19. "That at page 5, lines 21 and 22, the words 'to the extent set out in sub-section (2)' be deleted".

24. "That at page 6, for lines 4 to 7, the following be substituted, namely:—

'Provided that the Commissioner may, if he is satisfied that) the applicant was prevented by

sufficient cause from making the application within the aforesaid, period of six months, entertain^ such application within a further period of six months*"

26. "That at page 7, lines 3. for the words 'limits specified in' the words 'amount of compensation payable under' be substituted".

27. "That at page 7, lines 20 to 23, be deleted".

28. "That at page 7, lines 24, 26 and 29, *for* the brackets and figures . '(iv), (v) and (vi)' the brackets and figures (ii), (iii) and (iv)' respectively, be substituted".

The questions were put and the motions were adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I shall now put amendment No. 20 of Shri P. N. Sukul to vote:

20. "That at page 5, for lines 23 to 26, the following be substituted, namely:—

'(2) The provisions of Section 4 of, and Schedule IV to, the Workmen's Compensation Act, 1923 as in force for the time being, regarding the amount of compensation payable to a workman under that Act shall, so far as may be, apply for the determination of the amount of compensation payable under sub-section • (1)'".

The question was put and the motion was adopted.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): The hon. Minister has accepted Mr. Sukul's amendment?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Yes.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Congratulations, Mr. Sukul.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now, the question is:

"That clause 8, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clauses 9 to 14 were added to the Bill.

Clause 1 (Short title and commencement)

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, I beg to move:

2. "That at page 1, line 4, for the figure '1975' the figure '1981' be substituted."

SHRI SANGDOPAL LEPCHA: Sir, I beg to move:

3. "That at page 1, lines 5 and 6 be deleted."

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now, I shall put amendment No. 2 of Shrimati Sinha to vote. The question is:

2. "That at page 1, line 4, for the figure '1976' the figure '1981' be substituted."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now I will put amendment No. 3 of Shri Lepcha to vote. The question is:

3. "That at page 1, lines 5 and 6 be deleted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now, the question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now we shall

take up the Enacting Formula. This is one amendment by Shrimati Sinha.

Enacting Formula

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, I beg to move:

1. "That at page 1, line 1, for the word 'Twenty-sixth' the word 'Thirty-second' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now, the question is:

1. "That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill. The motion was negatived."

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The title was added to the Bill.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed".

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I have only one thing to say for the third reading. Mrs. B. Mukherjee.

SHRIMATI PURABI MAHAJAN (West Bengal): Vice-Chairman, Sir, I congratulate the Minister for bringing a very good amendment. I also congratulate the Members of the Joint Select Committee who took pains to go through the Bill clause by clause and study the real situation in the country. Madam Minister has taken care and she has vast experience in this line. I have very great confidence in both the lady Ministers sitting here. I know the subject will not be put in the hands of the Minister and the Education Minister. The Minister should know that in 1976, in the International Year, the Government passed a resolution, an order providing for

[Shrimati Purabi Mukhopadhyay]

pay for equal work. It has not been implemented properly even in the organised sectors. You can imagine the plight of the women labour in remote plantation areas where their claim is not properly heeded by the management, by the owners. Minister has to take proper steps to see that this formula of equal pay for equal work is implemented.

Mr. Vice-Chairman, Sir, you know the undivided Congress, the Indian National Congress, fought for plantation labour and also for the rights and privileges of the peasantry. It was Sardar Vallabhai Patel and Mahatma Gandhi in the Chauri-Chaura Movement who brought the peasantry to the forefront, to the leadership of the Indian National Congress.

And as successors of those great leaders in that organisation it is high time the Congress did their best for the plantation labour as well as the unorganised peasantry in that area. Even in Mexico, in Algeria, in Soviet Russia or in Cuba or in other countries, it was the labour, the plantation labour, who took the revolution to its final goal. Here in this country we do not want to see another blood bath, we do not want to see that they take up arms against Government or against employers. As people's representatives and as Government of the people, we must do our best to solve their problems, whatever their grievances are, whatever their difficulties are, instead of allowing anybody to take advantage of their poverty and their difficulties. I know what goes on in plantation labour. I can give instances of different plantations. I come from West Bengal where tea plantation is a very big factor and I know how plantation labour are still being exploited. Housing facility is a must for them under the Act. It is not there. In house collapse the Minister has stipulated certain conditions and there is a proviso that if it is proved that the

labourer was responsible for the collapse, then he is deprived of any compensation or any facility. I object to this clause. I do not want to hold up the Bill on this ground. I do not want you to send the Bill to another Select Committee or another Joint Committee. I do not want you to hold up the Bill in order to bring another comprehensive Bill. I only say it is high time that this amendment was implemented and implemented with proper care. But in regard to this clause, Madam Minister, you should remember that the onus of collapse will not be on the labour. The labour have not to prove that they are not at fault in the collapse of the house, because all these are dilapidated houses, and anyone can come and say that so and so labourer has put a match in that or that he has just taken out a portion of it. The onus of proof shall not be on the labour. It should be made compulsory that in all cases of collapse, it is the plantation owners who will have to compensate and make a new house for the labour.

One word about creches. In the Bill it is said "if the number of children for fifty women is less than twenty..." Madam Minister, family planning has not gone down to that level in success that fifty women will have less than twenty or a little more than twenty. A creche is a must. All our literature is full of atrocities on plantation labour, all our literature is full of neglected children in plantation labour. That is our day-to-day experience. Therefore, Madam, I request you to make creche also a compulsory item. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now I shall put the motion ...

SHRI NAGESHWAR . PRASAD SHAHI: Sir, please give two minutes to Mr. Hukmdeo Narayan Yadav. He has been asking for a chance.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Shahi, you

allowed time for the Bill and we have already exceeded that time...

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI:
He will take only two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): All right, let it be only two minutes.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI:
Yes, only two minutes.

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) :
दो मिनट में मेहरबानी कीजियेगा ।

श्री हुसमदेव नारायण यादव (बिहार) :
श्री उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए खड़ा हुआ हूँ सरकार के इस अंतिम समय में दिल पास के समय... (व्यवधान)

श्री सतपाल मिस्तल (पंजाब)
प्रभी कई साल आपको जीना है ।

श्री हुसमदेव नारायण यादव : आपसे ज्यादा तो जरूर जीयेंगे, यह विश्वास है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के 14वें अनुच्छेद में यह साफ लिखा है कि हिन्दुस्तान में सभी लोगों को समान न्याय दिया जायेगा । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संगठित मजदूर हैं, संगठित मजदूर क्षेत्र में जो काम करने वाला मजदूर वर्ग है और खेतों में या बागान में जो काम करने वाला मजदूर वर्ग है उन दोनों मजदूर वर्गों के बारे में सरकार की समान नीति नहीं है वह समान नीति बनाना चाहिए । जैसे संगठित मजदूर, औद्योगिक मजदूर को हटने के बाद आप पेंशन देते हैं, क्या क्या देते हैं, सारी योजना बनाते हैं उसी तरह से इन बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी बनायें । चूंकि उनको आप इसलिए ये सारे अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वे ब बिहार से कहां कहां से जाकर

और आपके इलाके से जाकर, हमारे उत्तरी बिहार से जाकर असम के चाय के बागानों में खटते हैं और वहां से मरते हुए लौटते हैं । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार का ध्यान इस पर जरूर जाना चाहिए ।

आखरी बात, एक बात मैं कहूंगा जैसे कि यूनियन के प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, जो हैं उनको सरकार डिफरेंस मनी पे करती है । यूनियन ने जितना पे किया और जितना नहीं किया तो सरकार उसको ग्रांट कमीशन से देती है... तो इन बागान में भी और खेतिहर मजदूरों को भी अगर किसान नहीं दे, तो मिनिमम जितना सरकार का रेट है, सरकार वहां पर सब्सिडी दे । उन बड़े लोगों को ग्रांट दे सकती है, तो खेतिहर मजदूर, किसान के खेत में खपने वाला जोयू है, कि गोबर मल है, कि गद्दी है, जो उसको आप नहीं दीजिएगा । उसके लिये भी वह सारी सुविधा दी जाए जैसे दूसरों को देते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Shrimati Sheila Kaul.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभाध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे स्वीकार करें, तो अब सदन को समाप्त किया जाए । साढ़े पांच बज चुके हैं... (व्यवधान)

संसदीय विभाग में राज्य मंत्री श्री सीताराम केशरी) : समाप्त नहीं, स्वगत किया जाए ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : स्थगित किया जाये। आज को सदन को कार्य-वाही समाप्त की जाए, मैंने कहा है।

श्रीमती रामकुमारी सिन्हा : चलने दिया जाए।

श्री सीताराम केसरी : मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल मूव हो जाने दिया जाए।

श्रीमती रामकुमारी सिन्हा : चलाने दोजिए अब सहेब।

श्री सीताराम केसरी बिल मूव कर दोजिए, सोमवार को बहस हो जाएगी।

THE VICTORIA MEMORIAL
(AMENDMENT) BILL, 1980

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTERIES OF EDUCATION AND
SOCIAL WELFARE (SHRI MATI
SHEILA KAUL): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Victoria Memorial Act, 1903, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

Sir, the Victoria Memorial Hall, Calcutta, an autonomous organisation, fully financed by the Department of Culture, was established in 1903 under a Central Act. The Act was passed for the purpose of making provisions for the erection, maintenance and management of the Memorial and for the appointment of a permanent body of Trustees. The Education Minister and the Education Secretary in the Ministry of Education are *ex-officio* members of the Board of Trustees of the Victoria Memorial Hall.

The Act of 1903 was amended in 1972 to provide for nomination of two persons by the Central Government having expert knowledge of the exhibits or who are museo-logists, historians and art historians as also nomination of other experts by the Trustees with the approval of the

Central Government to represent general body of subscribers. This clause was considered essential as the then Act, while providing nomination by the Trustees of persons to represent the general body of subscribers, did not lay down any qualification or criteria.

The Committee on Subordinate Legislation (5th Lok Sabha) had made certain recommendations about the imposition of tickets for admission to the Victoria Memorial Hall and for specific inclusions in the rules for creation of posts and regulating the service conditions of the employees of the Hall. The present amendment seeks to amend section 5 of the Act on the lines of the Salar Jung Museum Act, 1961, to empower the Government to make rules for the levy of fee. Opportunity is also being taken to incorporate the provision for laying the rules made by the Central Government before the Parliament. It is also proposed to insert a new clause in the Act for empowering the Trustees to make regulations for regulating the service conditions of the employees.

I may mention here that in pursuance of the assurance given in the Parliament during the discussion on the Victoria Memorial (Amendment) Bill, a Committee of Experts under the Chairmanship of Prof. Niharranjan Ray was appointed in December 1972 to make recommendations for the reorientation of the collection. The Committee, *inter alia*, recommended that the museum be converted into a period museum covering 1750—1900. These recommendations were considered by the Trustees who recommended that the period covered should be 1700—1900. This was accepted.

I may add that the Victoria Memorial Hall, as a part of the reorientation programme, proposes to provide a separate gallery depicting the struggle of the indigo planters and the